(iv) Greater competition from imports due to reduction in custom duty for finished steel; and

(v) Dumping of finished steel in the country, particularly from CIS and South East Asian countries.

The enhanced allocation for infrastructure development, housing, power and highways proposed in the budget for 1998-99 is expected to stimulate the demand for steel.

कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों को देय बकाया राशियां

*174. **श्री अखिलेश दास:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.1998 तक सभी वर्गों के उपभोक्ताओं पर कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य निजी विद्युत इकाइयों पर इस राशि का कितना प्रतिशत बकाया है; और

(घ) विशेषकर राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली के लिये क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की ओर को०इ०लि० की कुल देय बकाया राशि 4776.36 करोड़ रु० (अंनतिम) है। इस संबंध में उपभोक्ता-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ग) विद्युत क्षेत्र की ओर देय बकाया राशि की प्रतिशतता कुल देय बकाया राशि का 82.27% है।

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों की देय बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार/को०इ०लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(1) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) को सलाह दी गई है कि वे साख-पत्र अथवा अग्रिम भुगतान के एवज् में ही विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति करे 1.1.1997 से "कैश एंड कैरी" स्कीम का कार्यान्वयन जोर-शोर से चल रहा है।

(2) देय राशि के निपटारे के लिये कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

(3) कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में भी देय राशि की वसूली, विद्युत बिलों के एवज में उसके समायोजन के द्वारा की जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे देय बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिये राज्य विद्युत बोर्डों को राजी करें/समर्थ करे।

(4) कोयला कंपनियों और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच उत्पन्न विवादित देय राशियों के मामलों को निपटाने के लिये अधिनिर्णायकों की नियुक्ति कर दी गई है।

(5) सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि को०इ०लि० 31.12.1996 तक की देय बकाया राशि की वसूली, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता में से कटौती करने की क्रिया विधि के माध्यम से की जाए।

1997-98 में राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता से लगभग 226.50 करोड़ रु० की कुल राशि प्राप्त की गई तथा को०इं०लि० को उक्त राशि का भुगतान किया गया।

विवरण

कोल इंडिया लि० की देय राशि का विवरण

(करोड़ रु० में)

	31.3.1998 के अनुसार देय		
उपभोक्ता का नाम	विवादित	अविवादित	जोड़
बीएसईबी	104.88	204.76	309.64
यूपीएसईबी	53.27	395.57	448.84

उपभोक्ता का नाम	विवादित	अविवादित	जोड़
पीएसईबी	202.67	17.79	220.46
टीएनईबी	97.32	81.89	179.21
एचएसईबी	28.01	48.29	76.30
आरएसईबी	7.60	32.03	39.63
एमएसईबी	713.45	24.79	738.24
एमपीईबी	41.04	213.03	254.07
जीईबी	27.96	359.40	387.24
डब्ल्यूबीएसईबी	69.56	17.72	87.18
डब्लूबीपीडीसी	79.53	85.59	165.12
एपीईबी	4.44	(-) 0.0	4.24
एएसईबी	—	1.44	1.44
केपीसीएल	6.41	64.30	70.71
डीपीएल	14.62	30.60	45.22
डीवीसी	93.42	43.67	137.09
डेसू	19.48	27.27	46.75
बीटीपीएस	258.83	231.99	490.82
एनटीपीसी	129.97	62.00	191.97
सीईएससी	1.03	11.83	12.86
एईसी	18.22	3.55	21.77
बीएसईएस	0.10	(-)0.06	0.04
अन्य	0.22	0.40	0.62
जोड़ विद्युत	1971.93	1957.65	3929.58
इस्पात	512.43	162.91	675.34
अन्य	146.22	25.22	171.44
कुल जोड़	2630.58	2145.78	4776.36

Budgetary support to Bharat Leather Corporation

*175. SHRI S. PETER ALPHONSE: Will the minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the administrative and budgetary support which Bharat Leather Corporation is getting from Government;

(b) whether there has been an improvement in the performance of the Corporation during the last two years; and

(c) whether there is a move to privatise or lease out the Corporation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Government have provided administrative support to Bharat Leather Corporation (BLC) by appointing two official directors on the Board of Directors, one each from Administrative and Finance side. Govt. have been providing budgetary support to BLC by way of non-plan and plan assistance as well as funds for voluntary retirement scheme from time to time.